BSES

# CISF सुरक्षा वापस ली, वितरण कंपनियां करेंगी अपील

## सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है यह

- सीआईएसएफ पर हर वितरण कंपनी कर रही थी सालाना 1. 25 करोड़ रूपये खर्च

नई दिल्ली: 3 जुलाई, 2009। बिजली वितरण कंपनियों से सीआईएसएफ के बटालियन वापस ले लिए गए हैं। इस कदम से, बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे उनके व्यापक अभियान को गहरा धक्का लगेगा। उल्लेखनीय है कि वितरण कंपनियां, सीआईएसएफ बटालियनों का पूरा खर्च उठा रही थीं। बीएसईएस की दोनों कंपनियां, सीआईएसएफ पर सालाना 2. 50 करोड़ रूपये खर्च कर रही थीं। पूरे पांच साल के लिए, वितरण कंपनियों को सीआईएसएफ की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी, लेकिन 2–3 साल के भीतर ही यह सुरक्षा उनसे वापस ले ली गई। इसके खिलाफ वितरण कंपनियां संबंधित प्रधिकरणों में अपील करेंगी।

सीआईएसएफ की सुरक्षा वापस लिया जाना, सुप्रीम कोर्ट के 2004 के आदेशों के उल्लंघन के जैसा है, जिसमें केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए थे कि एनडीपीएल व बीएसईएस को पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बिजली चोरी के खिलाफ अभियान के दौरान उन्हें इस सुरक्षा की जरूरत पड़ती है।

बीएसईएस के एक अधिकारी का कहना है – पहले हमें यह बताया गया था कि सीआईएसएफ की सुरक्षा अस्थायी रूप से वापस ली जा रही है और लोकसभा चुनाव पूरे हो जाने के बाद, यह सुविधा फिर से बहाल कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले करीब तीन सालों में वितरण कंपनियों द्वारा बिजली चोरी को रोकने की दिशा में उठाए गए तमाम कदमों पर यह पानी फेर सकता है। हो सकता है, बिना सुरक्षा उपायों के भारी बिजली चोरी वाले इलाकों में छापेमारी करना हमारे लिए संभव न हो। अधिकारी के मुताबिक, यह दिल्ली के बिजली सेक्टर में प्राइवेट–पब्लिक–पार्टनरशिप के लिए भी एक बड़ा धक्का है।

<u>कब मिली थी सीआईएसएफ की सुरक्षा, क्या हुए फायदे:</u>

जून, 2006 में दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को सीआईएसएफ की सेवाएं मिलनी शुरू हुईं। जून, 2006 में बीएसईएस यमुना को सीआईएसएफ की सुरक्षा मिली, जबकि मई, 2007 में बीएसईएस राजधानी व एनडीपीएल को सीआईएसएफ मिली। प्रत्येक डिस्कॉम को सीआईएसएफ के 114 जवान दिए गए थे, जो छापेमारी के दौरान डिस्कॉम के कर्मचारियों की सुरक्षा करते थे। सीआईएसएफ एक्ट के तहत, सीआईएसएफ के जवान हथियार रख सकते हैं, और बिना वॉरंट के भी आरोपी को हिरासत में लेकर उसे पुलिस को सौंप सकते हैं।

सीआईएसएफ की सुरक्षा मिलने के बाद बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में काफी तेजी आई। इसी तेजी का नतीजा है कि पिछले दो–तीन साल में व्यापक पैमाने पर छापेमारी को अंजाम दिया गया। दिल्ली में पहले जहां एटीएंडसी लॉस 63 प्रतिशत था, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 20 प्रतिशत रह गया है।

<u>क्यों है सीआईएसएफ की जरूरत:</u>

दरअसल, दिल्ली में इतने व्यापक पैमाने पर बिजली चोरी हो रही थी कि इसे बिजली चोरी की राजधानी कहा जाने लगा था। बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी के दौरान वितरण कंपनियों के अधिकारियों व कर्मचारियों पर जानलेवा हमले किए जाते रहे हैं। इस वजह से बिजली चोरी को रोक पाना काफी मुश्किल काम है। डिस्कॉम्स के कर्मचारियों द्वारा बिना सुरक्षा के छापेमारी करने के क्या अंजाम हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

छापेमारी पर जाने से पहले वितरण कंपनियां सुरक्षा कारणों से पुलिस टीम को अपने साथ चलने का अनुरोध करती थीं, खासकर भयानक चोरी वाले इलाकों में। लेकिन, कई बार अत्यधिक व्यस्तताओं व जरूरी कार्यों के चलते वे छापेमारी अभियान पर चलने में असमर्थता जता देते थे। काफी प्रयासों के बाद वितरण कंपनियों को सीआईएसएफ का एक–एक बटालियन मिला था।

<u>क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश:</u>

दरअसल, वितरण कंपनियों से सीआईएसएफ का वापस लिया जाना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के जैसा है। 29 नवंबर, 2004 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस राम पाल ने केंद्र व दिल्ली सरकार को इस बारे में निर्देश दिए थे। इस आदेश में केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा गया था कि बिजली कानून, 2003 के तहत बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी व खोजबीन के दौरान या फिर, कामकाज में किसी व्यक्ति द्वारा बाधा डालने के दौरान, एनडीपीएल व बीएसईएस को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए।

*दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।*